83

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 1994 (भाद्र 28, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का छत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.92 से 31.3.93 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार पृथक् आगम विभाग की अधिसूचनायें :-

(क) एफ क्र-ए-5-22-1982 (8)-विक-पांच, दिनांक 19 मार्च, 1983, तथा
(ख) एफ क्र. ए-5-22-1982 (9)-विक-पांच, दिनांक 19 मार्च, 1983

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री, ऊर्जा :-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94, तथा
(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1992-93,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, इन्दौर विकास प्राधिकरण की भूमि पर नगर निगम कर्मियों की मिली भगत से अवैध निर्माण होने की ओर राज्यमंत्री आवास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, सदस्य, सतना जिले में मां शारदा प्रबंधन समिति मैहर के अध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री जालम सिंह पटेल, जनकलाल ठाकुर, कंकर मुंजारे, सदस्य, दुर्ग जिले में बंद शंकर गुहा नियोगी हत्याकांड के अपराधी द्वारा जेल कर्मियों की मिली भगत से जेल से भागने का प्रयास किये जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री किशोरीलाल वर्मा, रघुनन्दन शर्मा, मोती कश्यप, सदस्य, भोपाल में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के अनशनकारियों की चिंताजनक हालत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का छठवां, सातवां, आठवां एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री धनेश पटिला, सभापति, याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम नेमावर में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम नेमावर में कन्या माध्यमिक शाला के भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम नेमावर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने,

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य -

(क) शहडोल जिले के ग्राम बोडरी, सिहपुर, तथा खैरहा रोड पर पुल का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) शहडोल जिले की सड़कों को चौड़ा कराये जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम पर्रायच्च में पशु चिकित्सालय खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम केमरा में शाला के भवन का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री प्रेम सिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले के -

(क) ग्राम कुंजेमुरा एवं ग्राम घोरामाठा स्थित हाईस्कूल में 10+2 की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
(ख) ग्राम गेरूपानी के पास स्थित मोहल्ला करहिन को स्वतंत्र ग्राम घोषित कराये जाने,

(5) श्री अरूण वोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम मोहलाई स्थित मंदिर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने,

(6) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के वार्ड 40 में सार्वजनिक वाचनालय खोले जाने,

(7) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने, एवं

(8) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, भोपाल से नाथद्वारा तथा भोपाल से डूंगरपुर तक बस चलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विधेयक, 1994 (क्रमांक 32 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

1 घन्टा (2) श्री इन्द्रजीत कुमार, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 30 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे (3) श्री रामनिवास रावत, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 27 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. बाण सागर परियोजना के आंशिक संचालन की व्यवस्था शीघ्र किये जाने के संबंध में श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 सितम्बर, 1994